राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

स्वर्ण जयन्ती समारोह में मा0 मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप, मण्डल के अनिस्तारित आवास/फ्लेट्स को निर्धारित छूट पर किश्तों में राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को आवण्टन सम्बन्धी नीति

आवण्टन नीति

1. योजना का नाम :—

1. इस योजना का नाम "राज्यकर्मचारी आवास आवण्टन योजना—2020" होगा।

2. पात्रता :—

1. राज्य सरकार के राजकीय विभागों/राजकीय उपकमों में कार्यरत कार्मिक ही इस योजना में आवास आवण्टन हेतु पात्र होगें।

3. प्रक्रिया :—

1. आवास आवण्टन के इच्छुक राज्यकर्मियों को मण्डल द्वारा निर्धारित पिंक कलर के बिड फॉर्म में "बुधवार नीलामी उत्सव" में सम्बन्धित वृत/स्वतन्त्र खण्ड कार्यालय में इच्छित आवास/फ्लेट हेतु सीलबन्द लिफाफे में अपनी बिड प्रस्तुत करनी होंगीं।
2. सभी राज्यकर्मचारियों को बुधवार नीलामी उत्सव के सामान्य बिडदाताओं की भांति आवास/फ्लेट की आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में अपने बिड—प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. राज्यकर्मचारियों के बिड आवेदन पत्र में आवास/फ्लेट की लागत भुगतान हेतु दो विकल्प नगद भुगतान एवं किराया क्रय पद्धति उपलब्ध होगें, जिनमें से आवेदक को एक विकल्प का चयन करना होगा।
4. टाई—ब्रेक :—

   अ. एक ही आवास/फ्लेट हेतु सामान्य आवेदक एवं किराया क्रय पद्धति का विकल्प चयन करने वाले राज्यकर्मी आवेदक से एक समान बिड प्राप्त होने की स्थिति में सफल बिडर का चयन पर्ची निकालकर (Through draw of lots) किया जावेगा।

   ब. एक ही आवास/फ्लेट हेतु सामान्य आवेदक एवं नगद भुगतान पद्धति का विकल्प चयन करने वाले राज्यकर्मी आवेदक से एक समान बिड प्राप्त होने की स्थिति में भी सफल बिडर का चयन पर्ची निकालकर (Through draw of lots) किया जावेगा।

   स. एक ही आवास/फ्लेट हेतु दो या दो से अधिक राज्यकर्मियों से एक समान बिड प्राप्त होने की स्थिति में, नगद भुगतान पद्धति का विकल्प चयन करने वाले राज्यकर्मी को सफल बिडर घोषित किया जावेगा। लेकिन, नगद भुगतान पद्धति के विकल्प का चयन करने वाले एक से अधिक राज्यकर्मी बिडर होने की स्थिति में, सफल बिडर का चयन पर्ची निकालकर (Through draw of lots) किया जावेगा।

लगातार. ...2

लगातार. ...2

5. सफल बिडदाता राज्यकर्मी को उसकी बिडमूल्य की 10 प्रतिशत राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट 72 घण्टे एवं अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस को सम्बन्धित मण्डल कार्यालय के राशि संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाना होगा।

6. सफल बिडदाता राज्यकर्मी को आवण्टित आवास/फ्लेट की मासिक किश्तें नियमित रूप से जमा करवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए रू. 100/— के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अण्डरटेकिंग, किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत मण्डल द्वारा वांछनीय अन्य प्रपत्र एवं 10 प्रतिशत जमा राशि की रसीद आवण्टित इकाई के आवण्टन पत्र जारी करने हेतु सम्बन्धित मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

7. उक्त प्रपत्रों के साथ ही सफल बिडदाता राज्यकर्मी को अपने नियन्त्रक अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करवाकर, सम्बन्धित मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा कि यदि वह आवण्टित आवास/फ्लेट की मासिक किश्त जमा करवाने में चूक करता है तो मण्डल के निवेदन पर नियन्त्रक अधिकारी (आहरण वितरण अधिकारी) द्वारा सम्बन्धित राज्यकर्मी के मासिक वेतन में से बकाया किश्त सहित ब्याज/शास्ति की राशि काटकर सीधे ही आवासन मण्डल को भिजवा दी जावेगी। (प्रपत्र-क)

8. सम्बन्धित वृत/स्वतन्त्र खण्ड कार्यालय द्वारा नगद भुगतान पद्धति में विकल्प देने वाले राज्यकर्मी को इस योजनान्तर्गत सामान्य आवेदक की भांति समस्त वसूलनीय राशियों का आवण्टन पत्र जारी किया जावेगा।

9. सम्बन्धित वृत/स्वतन्त्र खण्ड कार्यालय द्वारा किराया क्रय पद्धति में सफल घोषित बिडदाता राज्यकर्मी को बिड–राशि की शेष 90 प्रतिशत राशि पर मण्डल नियमानुसार वसूलनीय ब्याज दर से गणना करते हुए, 156 (13 वर्ष) सममासिक किश्तों का आवटन पत्र जारी किया जावेगा।

10. किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जारी आवण्टन पत्र में मण्डल नियमानुसार विभिन्न मदों यथा किराया क्रय राशि, लीज–राशि, एएससी0 चार्जेज, जीएसटी0 इत्यादि की राशि भी वसूलनीय होगी।

11 आवण्टन पत्र के निर्देशानुसार आवश्यक प्रपत्रों की प्रस्तुति उपरान्त, आवण्टित आवास/फ्लेट का भौतिक कब्जा 07 दिवस में सुपुर्द किया जावेगा।

12. निर्दिष्ट अवधि में सफल बोलीदाता द्वारा मांग राशि जमा नहीं करवाने पर उसके द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

लगातार. ...3

लगातार. ...3

महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. इस योजना में सभी राज्यकर्मचारियों को बुधवार नीलामी उत्सव के दौरान ही किश्तों पर आवास/फ्लेट्स क्रय किये जाने का अवसर दिया जावेगा।

2. राज्य सरकार द्वारा मण्डल के अनिस्तारित आवास/फ्लेट्स पर पूर्व में अनुज्ञेय 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत की छूट का लाभ इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को यथावत प्रदान किया जावेगा।

3. सफल बिडदाता राज्यकर्मी द्वारा शेष राशि का एकमुश्त भुगतान बैंकों से ऋण लेकर किये जाने पर प्रधानमन्त्री आवास योजनान्तर्गत अनुज्ञेय रू. 02.67 लाख की ब्याज–सब्सिडी प्राप्त की जा सकेगी, बशर्ते कि आवण्टी प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्य मानदण्डों को पूर्ण करता हो।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : CEM/1482 दिनांक : 03/3/2020

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत–.............................

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
स्वतंत्र खण्ड–.............................

विषय :– राज्य कर्मचारी आवास आवंटन योजना–2020 के संबंध में

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वर्ण जयन्ती समारोह के दौरान की गयी घोषणा के अनुरूप मण्डल द्वारा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राज्य कर्मचारी आवास आवंटन योजना–2020 प्रारम्भ की जा रही है, जिसके संबंध में मण्डल द्वारा निर्धारित नीति पूर्व में ही जारी कर मण्डल की बेवसाईट पर अपलोड कर दी गयी है।

इसी क्रम में लेख है कि मण्डल की उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य कर्मी को सफल बिडर घोषित करने के उपरान्त संबंधित राज्य कर्मी से संलग्न प्रारूप में 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर **शपथ पत्र (अ)**, 72 घण्टे में जमा करायी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि की रसीद के साथ आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाकर ही आवंटन पत्र जारी किया जावें। मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र में किराया क्रय पद्धति में विभिन्न मदों जैसे Higher purchases Deposit, ASC Charges, Lease Money, GST इत्यादि भी मण्डल नियमानुसार निर्धारित मदों में वसूल की जावें।

आवंटी को प्रेषित किये जाने वाले आवंटन पत्र के साथ कब्जा हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों के साथ संलग्न **घोषणा पत्र (ब)** का प्रारूप भी प्रेषित किया जावें एवं आवंटी द्वारा कब्जा प्रपत्रों के साथ उपरोक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आवास का कब्जा पत्र जारी किये जावें।

भवदीय

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा.आ.म., जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य सम्पदा प्रबंधक/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
4. अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
5. आवासीय अभियन्ता, रा.आ.म., खण्ड–............................ (समस्त)

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

10 प्रतिशत राशि की रसीद के साथ आवंटन पत्र जारी करने हेतु

शपथ पत्र (अ)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
आयु .... जाति .... निवासी ....
.... सशपथ बयान करता/करती हूं –

1. यह कि मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार के .... विभाग/उपक्रम/बोर्ड/निगम/कम्पनी में दिनांक .... से पद .... पर कार्यरत हूं।
2. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रारम्भ की गयी राज्य कर्मचारी आवास आवंटन योजना–2020 में मेरे द्वारा किराया क्रय पद्धति पर मण्डल की .... आवासीय योजना में आवास संख्या .... क्रय किया गया है।
3. यह कि मैं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र के अनुसार आवंटित आवास की मासिक किश्त निरन्तर रूप से जमा कराता रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा उक्त मासिक किश्त जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित आवास की किश्त मेरे नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से मेरे वेतन से सीधे कटौती कर प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि मेरे नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मासिक किश्त की कटौती कर राजस्थान आवासन मण्डल में जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में मण्डल द्वारा उक्त आवास का आवंटन निरस्त कर मुझे आवास से बेदखल करने/आवास की बकाया वसूली विधि सम्मत प्रावधानों के अन्तर्गत करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ ग्रहिता

(शपथ पत्र 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

कब्जा प्रपत्रों के साथ संलग्न करने हेतु

घोषणा पत्र (ब)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
आयु .... जाति .... निवासी ....
.... निम्न घोषणा करता/करती हूं –

1. यह कि मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार के .... विभाग/उपक्रम/बोर्ड/निगम/कम्पनी में दिनांक .... से पद .... पर कार्यरत हूं।
2. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रारम्भ की गयी राज्य कर्मचारी आवास आवंटन योजना–2020 में मुझे किराया क्रय पद्धति पर .... आवासीय योजना में आवास संख्या .... का आवंटन पत्र क्रमांक .... दिनांक .... जारी किया गया है।
3. यह कि आवंटन पत्र के अनुसार उक्त आवास की प्रति माह मासिक किश्त रूपये .... मेरे द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख से पूर्व जमा करा दी जावेगी।
4. यह कि मेरे द्वारा उक्त मासिक किश्त जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में मेरे नियंत्रक अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवास की उक्त मासिक किश्त आवासन मण्डल की मांग पर मेरे मासिक वेतन से कटौती कर राजस्थान आवासन मण्डल में जमा करवाने हेतु मैं अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूं।
5. उपरोक्त घोषणा/सहमति मैं पूर्ण होश–हवाश में ईश्वर को साक्षी मानते हुए प्रदान करता/करती हूं तथा भविष्य में मेरे इस घोषणा पत्र को ही पूर्ण रूप से अन्तिम माना जावें।

हस्ताक्षर
घोषणाकर्ता (राज्य कर्मी)

नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का प्रमाण पत्र

श्री .... पद .... द्वारा अधोहस्ताक्षरंकर्ता को प्रस्तुत घोषणा पत्र मूल ही राजस्थान आवासन मण्डल को अग्रेषित कर लेख है कि राज्य कर्मी द्वारा मण्डल से आवंटित आवास संख्या .... योजना .... की मासिक किश्त नियमित रूप से जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में राजस्थान आवासन मण्डल की मांग पर उक्त आवंटित आवास की बकाया सहित आगामी मासिक किश्त उक्त कार्मिक के वेतन से विभाग द्वारा काटी जाकर राजस्थान आवासन मण्डल में जमा करा दी जावेगी।

नियंत्रक अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी